

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाहमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 577

दिनांक 28/4/25

अनवान :-

प्रार्थी वनाम विप्रार्थीगण  
केसुदेवी वगैरा वनाम चुतराराम के का.मु. वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी वावत ।


राजस्व आवेदन सं. 75/2022

दिनांक : 28/04/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र पोकरासर के मौजा पोकरासर के खेत खसरा सं. 670/492 रकबा 45.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थार्ई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मीके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 578 to 581

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी केसुदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण चुतराराम के का.मु. वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराइ/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 28/04/25

(कुसुमलता चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन